22/03/22 प्रार्थी रामोतार सिंह द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र की प्रार्थी द्वारा आवेदन पेश किये काफी समय हो गया। प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु हदबंदी करना चाहता है। परन्तु खेती को बर्बाद कर देते है। मुकदमे मे पेशी देरीना है मामला आवश्यक प्रकृति का है, तामील हो चुकी है अतः निवेदन है कि पत्रावली आज ही बरामद की जाकर सुनवाई फरमाई जावें। पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुयी। सप्रार्थी अदालत हाजा में उप०। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 31.03.22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

31/03/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे तथा पैरोकार सरकार ने कोई आपत्ति जाहिर नही की। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी खातेदार दर्ज है। अतः पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(हस्ताक्षर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बणियालानगर पटवार मण्डल मांकडी स्थित भूमि खसरा नंबर 181 रकबा 0.01 है0 व खसरा नंबर 182 रकबा 1.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 है0 की प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान 11.12.2020 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner